न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 172 /2022

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

1. भेराराम पुत्र भीखाराम उम्र 77 वर्ष जाति जाट निवासी कैराला पाना, कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

1. रामाराम पुत्र अरजनराम उम्र 60 वर्ष
2. तेजाराम पुत्र अरजनराम उम्र 55 वर्ष
3. ठाकराराम पुत्र अरजनराम उम्र 50 वर्ष
4. खेमाराम पुत्र रामलाल उम्र 50 वर्ष
5. जीयाराम पुत्र हरजीराम उम्र 60 वर्ष
6. टीकमाराम पुत्र भीयाराम उम्र 60 वर्ष
7. हीराराम पुत्र भीयाराम उम्र 50 वर्ष
8. बाबूराम पुत्र मेघाराम उम्र 50 वर्ष
9. जेठाराम पुत्र मेघाराम उम्र 56 वर्ष जातियान जाट निवासी कैराला पाना, कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
10. वीरमाराम पुत्र जालाराम उम्र 60 वर्ष
11. सताराम पुत्र भीयाराम उम्र 70 वर्ष
12. गुमनाराम पुत्र रूपाराम उम्र 55 वर्ष
13. नवलाराम पुत्र चिमनाराम उम्र 50 वर्ष
14. रामपाल पुत्र राजूराम उम्र 40 वर्ष
15. पूनमाराम पुत्र राजूराम उम्र 50 वर्ष जातियान जाट निवासी सिद्ध श्री जसनाथ नगर, कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
16. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री दलाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा कैराला पाना पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 556/473 रकबा 11.6658 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 557/473 रकबा 3.4949 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 561/472 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल रकबा 15.2092 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। बरसात होने पर विप्रार्थीगण, प्रार्थी के उपरोक्त खेतों के सेढ़ो को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थी की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु जुताई को जेकर विवा बना रहता है।इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा कैराला पाना पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 556/473 रकबा 11.6658 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 557/473 रकबा 3.4949 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 561/472 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल रकबा 15.2092 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2! प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा कैराला पाना पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 556/473 रकबा 11.6658 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 557/473 रकबा 3.4949 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 561/472 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल रकबा 15.2092 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा कैराला पाना पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 556/473 रकबा 11.6658 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 557/473 रकबा 3.4949 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 561/472 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल रकबा 15.2092 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा कैराला पाना पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 556/473 रकबा 11.6658 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 557/473 रकबा 3.4949 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 561/472 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल रकबा 15.2092 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड का खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कैराला पाना पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 556/473 रकबा 11.6658 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 557/473 रकबा 3.4949 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 561/472 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल रकबा 15.2092 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 02-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested